उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

1. *सामान्य कार्यक्रमों हेतु अर्हता सम्बन्धी दिशा निर्देश*

1. सामान्य रूप से स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए पारम्परिक अथवा दूरस्थ शिक्षा में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा परास्नातक कक्षाओं के लिए 05 वर्ष का परास्नातक स्तर के अध्यापक का अनुभव अपेक्षित है।

2. स्नातक स्तर पर 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव के अध्यापकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षक जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर व नेट/पी.एच.डी. हों, से परामर्श कार्य कराया जा सकता है।

3. प्रोफेशनल कार्यक्रम (MCA/MBA/PGDCA/BCA etc) जहाँ UGC के साथ–साथ AICTE के नियम लागू होते हैं उन कार्यक्रमों में परामर्श कार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षक जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों, से कराया जा सकता है। स्नातक स्तर पर 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाय।

4. परामर्श देयक के साथ परामर्शदाताओं का बायोडाटा संलग्न न होने की स्थिति में परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में अध्ययन केन्द्र समन्वयक/प्राचार्य/निदेशक के सत्यापन/हस्ताक्षरित सूची के आधार पर देयकों का परीक्षण किया जाय।

प्रोजेक्ट निर्देशन हेतु नियम

प्रोजेक्ट कार्य के निर्देशन (सुपरवाइजर) हेतु अनिवार्य अर्हता, सम्बन्धित विषय में परास्नातक उपाधि है। निर्देशक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे उस विषय में पर्याप्त अनुभव हो और वह किसी योग्य पद पर कार्यरत हो अथवा अवकाश प्राप्त हो।

2. *बी0एड0 एवं बी0एड0 (वि0शि0)/पी0जी0पी0डी0 कार्यक्रम हेतु अर्हता सम्बन्धी दिशा निर्देश*

1. सामान्य शिक्षण प्रकृति वाले प्रश्नपत्रों का शिक्षण, शिक्षण विषयों का शिक्षण एवं प्रयोगात्मक कार्य का शिक्षण व पर्यवेक्षण का कार्य बी0एड0 (वि0शि0)/एम0एड0 (वि0शि0) का शिक्षण कर रहे एम0एड0 (वि0शि0) उपाधि धारक शिक्षकों के साथ–साथ सामान्य बी0एड0/सामान्य एम0एड0 का शिक्षण कार्य कर रहे/NCTE मानक के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के द्वारा कराया जा सकता है।

2. बी0एड0 (वि0शि0) के विशिष्टता के क्षेत्र के प्रश्नपत्रों का शिक्षण, प्रयोगात्मक कार्य व पर्यवेक्षण केवल सम्बन्धित क्षेत्र में एम0एड0 (वि0शि0) उपाधि धारक कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षकों से कराया जा सकता है।

3. बी0एड0 (वि0शि0) कार्यक्रम में उपकरणों पर प्रशिक्षण कार्य के सम्बन्धित क्षेत्र के पंजीकृत चिकित्सकों/Therapist से कराया जा सकता है।

4. Mentor For General School Teaching-
सामान्य प्रकृति के शिक्षण विषयों हेतु Mentor के लिए वही अध्यापक अर्ह होंगे जो प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।

5. Mentor For ~~Centre~~ Special School Teaching.
विशिष्टता क्षेत्र के शिक्षण विषयों हेतु के लिए वही अध्यापक अर्ह होंगे जो प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।

उपर्युक्त मानक विश्वविद्यालय स्तर पर नवीन मानकों/दिशानिर्देशों के निर्धारण/परिमार्जन तथा क्रियान्वयन तक मान्य किये जा सकते हैं।

डॉ0 आशुतोष गुप्ता